बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:–2/अ0प्र0–1–58/2020 58 /पटना, दिनांक :– 6.11.2020

श्री हरि शंकर, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवादा अंतर्गत अकबरपुर से मदैनी पथ में स्टोन मेटल ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में ग्रेडिंग अस्वीकार योग्य पाये जाने के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यालय आदेश सं0–57 दिनांक 05.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5180 अनु0 दिनांक 09.12.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री शंकर के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इससे असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत श्री शंकर से विभागीय पत्रांक 1195 अनु0 दिनांक 24.06.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री शंकर द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 10.08.2020 समर्पित किया गया, जिसमें प्रथम आरोप के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कार्य का स्थल निरीक्षण दिनांक 29.12.2011 को जॉच दल द्वारा किया गया। जॉच प्रतिवेदन की कंडिका–13 में अंकित है कि कार्य काफी समय से बंद है। किये गये कार्य में Gr-III Layer उखड़ रहा है जिससे ऊपरी सतह पर साकारात्मक कार्य की आवश्यकता है। Side slope भी Maintain करने की आवश्यकता है। Super elevation एवं Camber आदि भी Proper नहीं है। पथ में प्रयुक्त Material प्रथम दृष्टया संतोषजनक है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, गया के ARO श्री अनूप कुमार द्वारा पथ से सामग्रियों का नमूना लिया गया है। जॉचफल अप्राप्त है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि दो सदस्यीय जॉच दल को प्रथम दृष्टया कार्य संतोषजनक पाया गया था। मैंने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 03.12.2012 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया था कि कार्य काफी समय से बंद था एवं जिस नमूने की जॉच की गयी वह कार्य सम्पादन के लगभग चार वर्षो के बाद एकत्र किया गया है। मेरे द्वारा पूर्व में समर्पित बयाव–बयान जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अप्रमाणित माना था, से असहमति का यह आधार कि SQM का का संदर्भित Report दिनांक 25.12.2012 का है, के संबंध में कहना आवश्यक है कि चूँकि कार्य बंद था एवं पुनः एकरारनामा के शर्तो के अनुरूप कार्य के गुणवत्ता के अनुरूप होने के उपरान्त ही SQM द्वारा निर्माण सामग्री को Satisfactory grading दी थी।

4. श्री शंकर के द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि निरीक्षण की तिथि तक पथ के Bituminous भाग में WBM Gr-III का कार्य हुआ था। प्रयोगशाला जॉचफल में दोनों नमूनों के पत्थरों का AIV 20% के आसपास एवं Water absorption 1% से कम बताया गया है जिससे ज्ञात होता है कि पथ में प्रयुक्त Stone metal का Strength सही है। अतः 4.14 कि0मी0 लम्बे पथ में मात्र दो बिन्दुओं (Ch.3000 मीटर एवं 4000 मीटर) पर एकत्र किये

गये पथ सामग्री के नमूने के Stone metal Gr-II & GR-III के grading जॉच के Percentage passing में यदि 1–2 Sieve पर निर्धारित सीमा से आंशिक विचलन पाया जाता है तो उस आधार पर पूरे पथ में व्यवहृत Stoen metal Gr-II & Gr-III को Grading में अस्वीकार बताया जाना उचित नहीं है जबकि AIV एवं water absorption test में Stone metal सही पाये गये हों। जॉच पदाधिकारी द्वारा पूरे पथ में किये गये WBM Gr-III का कार्य एवं जॉच हेतु खोदे गये Pit से प्राप्त पथ सामग्रियों के नमूनों का भली–भॉति निरीक्षण करने के उपरान्त ही पथ में प्रयुक्त सामग्री (Material) को जॉच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया संतोषजनक बताया गया है। उक्त आधारों पर श्री शंकर का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य पाया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री हरि शंकर, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री हरि शंकर, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

21/x/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–09/2017 1723 /पटना, दिनांक :– 6.11.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया/नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री हरि शंकर, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/x/2020

अभियंता प्रमुख